अंक ५१ नई दिल्ली, मई २०१४ [निजी प्रसार के लिए]

लोक पुलिस

मासिक पत्रिका

सी.एच.आर.आई.

जनतांत्रिक पुलिस के लिए

'अपराधिक कानूनों में संशोधन से अपराध दर्ज कराने में सहायता मिली है'

श्री ताज हसन

दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त (यातायात) तथा महिला सुरक्षा से सम्बन्धित विषयों पर कार्यरत गैर सरकारी संगठनों व व्यक्तियों से संपर्क के लिए नियुक्त नोडल अफ़सर श्री ताज हसन से देविका प्रसाद और ज़ीनत मलिक द्वारा महिलाओं से संबंधित दिल्ली पुलिस की कार्यवाहियों पर लिये गये व्यक्तिगत साक्षात्कार को पाठकों के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है।

दिल्ली पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या विशेष उपाय किये गये हैं, विशेषकर, थाना स्तर पर?

१६ दिसंबर २०१२ की घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाये हैं जिनमें से एक है – महिलाओं की शिकायतों को सुनने के लिए स्पेशल हेल्प डेस्क हर थाने में लगाना। इसके अंतर्गत २४ घंटे एक महिला अधिकारी महिलाओं से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करने के लिए उपलब्ध रहती है। यदि कोई महिला थाने पहुंचती है, ड्यूटी अधिकारी से भी पहले उसकी शिकायत सुनने के लिए उसे सीधे महिला हेल्प डेस्क अधिकारी के पास ले जाया जाता है, जिनसे वह अपनी पूरी बात बगैर किसी संकोच के कह सकती है। यहां तक कि हेल्प डेस्क अधिकारी को एक अलग दूरभाष नंबर दिया गया है ताकि महिला शिकायतकर्त्ता दूरसंचार द्वारा भी थाने में तैनात महिला अधिकारी से अपनी शिकायत के संदर्भ में संपर्क कर सके।

इसके अलावा हर थाने में एक समिति बनाई गई है जिसमें क्षेत्र में महिला सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा होती है। हर १५ दिन में इसकी मीटिंग होती है। हमने यह भी कोशिश की है कि स्कूलों की छुट्टी के समय हमारे अधिकारी वहां मौजूद हों ताकि छेड़खानी की घटनाओं में कमी आए। इसके अलावा वर्ष २०१३ से 'युवा' नामक एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें महिलाओं को सशक्त करने के लिए कुछ पहल की गई है, जैसे – आत्म सुरक्षा पर प्रशिक्षण देना, जिसे दिल्ली के विभिन्न जिला स्तर पर लागू कराया गया है। महिला अपराध शाखा (सी.ए.डब्ल्यू. सैल) भी महिला सशक्तिकरण पर आत्म सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करती है। स्कूलों में कैम्प लगाये जाते हैं, गर्मियों में यह कैंप आमतौर पर स्कूलों की छुट्टी के बाद लगाये जाते हैं। इसके लिए कई गैर सरकारी संगठन मिलकर काम करते हैं और यदि कोई संगठन स्वयं यह कार्यक्रम करना चाहे तो हम उसे प्रशिक्षक उपलब्ध कराते हैं। हम यह भी कहते हैं कि यदि वह कोई व्यवसायिक प्रशिक्षक रखना चाहें तो भी हम उन्हें सहयोग देंगे। साथ ही 'परिवर्तन' अभियान के अंतर्गत महिलाओं की बीट में तैनाती की गई है।

इसके अलावा द.प्र.सं. में संशोधन के बाद, सभी थानों में स्पष्ट निर्देश दे दिये गये हैं कि किसी भी महिला की शिकायत आने पर समय गंवाए बिना और उसकी सत्यता की जांच किये बगैर उसकी रिपोर्ट उसी के शब्दों में दर्ज की जाए। इसके बाद थानों में महिला अपराध से संबंधित एफ.आई.आर. में करीब ४०० प्रतिशत की वृद्धि हुई है। महिलाओं के विरूद्ध अपराध से संबंधित लगभग ८० प्रतिशत केसों में आरोपी की गिरफ़्तारी अपराध के पहले ७ से १० दिनों में हो जाती है।

१६ दिसंबर के बाद दिल्ली पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए किये गये विभिन्न उपायों को एक वर्ष से अधिक समय हो गया है। क्या वह सभी अभियान अब भी जारी हैं? क्या इसकी प्रगति या सफलता को आंकने के लिए कोई औपचारिक प्रणाली मौजूद है?

जी हां, सभी कार्यक्रम आज भी अच्छी तरह चल रहे हैं और सबकी निगरानी के लिए अलग–अलग नोडल अफ़सर हैं। जैसे : मैं महिलाओं से संबंधित विषयों पर कार्यरत गैर सरकारी संगठनों से संपर्क बनाने के लिए नोडल अफसर हूँ। यह भी उसी अभियान का एक भाग है कि महिलाओं की सुरक्षा पर सिविल सोसायटी से सलाह ली जाए और ज़मीनी स्थिति की जानकारी प्राप्त की जाए। हांलाकि, इसकी संपूर्ण प्रगति की कोई अलग से रिपोर्ट नहीं है लेकिन सभी नोडल अफसर संबंधित विषयों पर फीडबैक लेते रहते हैं। ज़िला स्तर पर सभी गतिविधियों की नियमित मॉनिटरिंग होती है। जैसे आत्म–सुरक्षा के लिए महिला अपराध शाखा की डीसीपी नोडल अफसर है। कई अन्य विषयों की मॉनिटरिंग अपराध शाखा तथा पी.सी.आर. के द्वारा भी की जाती है। डी.सी.पी. द्वारा थानों का अचानक निरीक्षण किया जाता है। उसी प्रकार, हम अपनी मासिक मीटिंग में समाजसेवी संस्थाओं से वास्तविक स्थिति का जायज़ा लेकर आने को कहते हैं। थानों में अगर कोई दिक्कत हो, किसी हेल्पडेस्क पर एक निश्चित समय में महिला अधिकारी उपलब्ध न हो इत्यादि, इसकी सूचना मीटिंग में दे सकते हैं।

प्राप्त फीडबैक के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि अब हमें महिलाओं की शिकायत न दर्ज करने की शिकायत कहीं से भी नहीं प्राप्त होती है। अब ऐसी शिकायतें मिलती हैं कि केसों में ठीक से कार्यवाही नहीं हो रही है, आदि।

महिला अपराध शाखा द्वारा आत्म–सुरक्षा का प्रशिक्षण अब भी चल रहा है। इसके साथ ही हमने महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए दिल्ली पुलिस के विभिन्न विभागों में प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू किया है। सुरक्षा, विशेष शाखा, यातायात आदि शाखाओं के लोगों को भी इस पर प्रशिक्षण दे रहे हैं। वे लोग सीधे इस क्षेत्र में काम नहीं कर रहे हैं लेकिन जब भी वे लोग स्थानांतरित होकर थाने में जायेंगे तो महिलाओं के प्रति संवेदनशील रहेंगे। दिल्ली पुलिस में एंटी–स्टॉकिंग सैल भी कार्यरत है।

थाना स्तर के कर्मचारियों और नये भर्ती हुए पुलिसकर्मियों को २०१३ में आपराधिक कानूनों में हुए संशोधनो पर शिक्षित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं? क्या आपके अनुसार दिल्ली पुलिस में जहां ८० हज़ार से अधिक स्टाफ़ है, इस परिवर्तन की पर्याप्त समझ आ गई है?

सारे लोग प्रत्यक्ष रूप से महिला मुद्दों पर काम नहीं करते हैं। थाना स्तर के अधिकारी ही इस मुद्दे पर प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत हैं, उनका प्रशिक्षण हमारी प्राथमिकता है। थाने में प्रतिनियुक्त पुलिस कर्मियों के अलावा अन्य विभागों जैसे विशेष शाखा, सुरक्षा, यातायात, में प्रतिनियुक्त पुलिस कर्मियों को भी महिला के विरूद्ध अपराध एवं महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिये जा रहे हैं। हांलाकि, नये कानूनों पर प्रशिक्षण हर स्तर पर प्रदान किया जा रहा है। प्रशिक्षण के अलावा भी इन मुद्दों पर जागरूकता अन्य श्रोतों जैसे – सर्कुलर द्वारा, प्रतिदिन ब्रीफिंग आदि में भी इनके बारे में बताया जाता है। बड़े पैमाने पर पुलिसकर्मियों का प्रशिक्षण किया जा चुका है और प्रशिक्षण एक सतत प्रक्रिया है, इसे आगे भी जारी रखा जाएगा।

आपराधिक कानूनों में संशोधन को एक वर्ष से अधिक समय हो चुका है, क्या कानूनों में परिवर्तन के बाद, आपको ऐसा लगता है कि पुलिस के बर्ताव में कोई साकारात्मक परिवर्तन आया है?

हां, बहुत संवेदीकरण हुआ है। इस कानून से बहुत सहायता मिली है। अब कानून भी पहले से ज्यादा सख्त हो गया है। महिलाओं के मुद्दों पर लोग ज्यादा संवेदनशील हो गये हैं पहले जैसा वातावरण अब नहीं रहा। लेकिन, व्यक्ति की सोच एक दिन में नहीं बदली जा सकती, लोगों के रवैये को बदलने में समय लगता है।

अब अधिकारियों को समझ आ चुका है कि कानून उन्हें महिला अपराधों से संबंधित प्रथम सूचना दर्ज करने के लिए बाध्य करता है और ऐसा न करना दण्डनीय अपराध हो तो व्यक्ति

शेष भाग पृष्ठ २ पर.....

बूझो और जीतो–२९

प्रिय पाठकों,

इस अंक में भी हम एक विशेष आपराधिक कानून से ही प्रश्नों का समावेश कर रहे हैं। किसी अंक में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर तीसरे महीने के अंक में प्रकाशित किये जाते हैं ताकि पाठकों को प्रविष्टियाँ भेजने के लिए पर्याप्त समय मिले। ३ सही जवाब भेजने वालों को ५०० रूपये पुरस्कार के रूप में डिमाण्ड ड्राफ्ट या चेक द्वारा भेजा जाता है और इन विजेताओं के नाम पत्रिका में प्रकाशित भी किये जाते हैं।

इस अंक के सवाल निम्नलिखित हैं:–

१. किसी व्यक्ति को अधिसूचित जनजातियों के घरों को आग लगाने के लिए क्या दण्ड दिया जा सकता है?

२. यदि कोई व्यक्ति किसी अधिसूचित जाति के व्यक्ति को नये फैशन के शर्ट और पैंट तथा जूतों के साथ पहने देखकर ज़बरदस्ती उतरवा देता है और कहता है कि ऐसे कपड़े उनलोगों के लिए नही होते है। क्या वह व्यक्ति कोई अपराध करता है? यदि 'हां' किस प्रावधान के अंतर्गत?

३. एक अधिसूचित जनजाति की यूवती के अपहरण करने की तैयारी करने वाले व्यक्ति को क्या उसका घर भी छोड़ कर जाना पड़ सकता है?

४. क्या एक २० वर्षीय यूवक को किसी अधिसूचित जनजाति की यूवती के साथ मामूली छेड़खानी के केस में उसे परिवीक्षा पर छोड़ा जा सकता है?

५. अधिसूचित जाति एवं जनजाति पर अत्याचारों से प्रतिबंध अधिनियम के अंतर्गत केसों की सुनवाई क्या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की अदालत में की जा सकती है?

बूझो और जीतो – २६ का परिणाम

फरवरी २०१४ अंक के परिणाम को इस अंक में प्रकाशित किया जा रहा है। इसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं:–

१. क्या देसी तमचा अपने पास रखना कोई अपराध है? यदि 'हां', किस प्रावधान के अंतर्गत?

हां, अपराध अधिनियम १९५९ की धारा ३ के अंतर्गत देसी तमंचा रखना अपराध है।

२. एक व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए कितने हथियार रख सकता है?

हथियार अधिनियम की धारा ३ के प्रतिबंध २ के अनुसार कोई भी व्यक्ति एक समय में अधिक से अधिक ३ हथियार अपने पास रख सकता है।

३. क्या आपकी लाईसेंसधारी राईफल को भी पुलिस जब्त कर सकती है?

हां, अपराध अधिनियम १९५९ की धारा १९(२) के अंतर्गत जब व्यक्ति लाईसेंस दिखाने से मना करे या जिस कानून द्वारा उसे हथियार लेकर चलने की आज्ञा मिली है, मांगे जाने पर उस लाईसेंस को दिखाने में विफल हो या सके। या, धारा २० के अंतर्गत इस प्रकार हथियार ले जाते हुए पाया जाए जिससे यह संदेह हो कि इसे किसी गैरकानूनी काम के लिए ले जाया जा रहा है।

४. क्या किसी प्रतिबंधित हथियार को केवल अपने घर में रखने के लिए भी दण्डित किया जा सकता है? संबंधित प्रावधान बतलाएं।

हां, हथियार अधिनियम १९५९ की धारा २५ १–क, के अंतर्गत प्रतिबंधित हथियारों को अपने पास रखना भी अपराध है। इसके लिए कम से कम ५–१० वर्षों तक के कारागार और जुर्माना चुकाने का दण्ड दिया जा सकता है।

५. क्या कोई व्यक्ति अपनी लाईसेंसधारी हथियार को सुरक्षित रखने के लिए थाने में जमा कर सकता है? किस प्रावधान के अंतर्गत ऐसा किया जा सकता है?

हथियार अधिनियम की धारा २१ के अंतर्गत लाईसेंसधारी हथियार को भी कुछ परिस्थितियों में सरकार के पास जमा कराना पड़ सकता है। यदि इस कानून की धारा ४ के अंतर्गत सरकार की ओर से जनहित में ऐसा करने के लिए अधिसूचना जारी किया गया हो या हथियार का लाईसेंस समाप्त हो गया हो या इसे रद्द कर दिया गया हो।

विजेता :

इस अंक के विजेता हैं श्री संजय जायसवाल, थाना प्रभारी, तेहरका थाना, तिकमगढ़, म.प्र.। इन्हें पुरस्कार की राशी अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक भेज दी जाएगी।

अपने पत्र हमें निम्न पते पर भेजें या या ईमेल करें–

ज़ीनत मलिक
प्रधान सम्पादक, *लोक पुलिस*
कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव
बी–१३७, दूसरा तल, सर्वोदय एनक्लेव,
नई दिल्ली ११००१७, भारत
फोन : +९१-०११-४३१८०२००, ४३१८०२२७–२९९
फैक्स : +९१-०११-२६८६४६८८
ई-मेल : zeenatmalick@gmail.com
वेबसाइट : http/www.humanrightsinitiative.org

बलात्कार के केसों में जांच संबंधी नवीनतम निर्देश

उच्चतम न्यायालय ने २५ अप्रैल २०१४ को *नोनाविनाकेर पुलिस द्वारा कर्नाटक राज्य बनाम शिवाना/तरकरी शिवाना, एस.एल.पी. क्रि.नं. ५०७३/२०११* के केस में आदेश देते हुये कहा है कि बलात्कार के केसों की जांच के लिए नये दिशा–निर्देश जारी किये हैं। न्यायाधीश ज्ञान सुधा मिश्रा और न्यायाधीश वी. गोपाल गौड़ा की खंडपीठ ने संविधान के अनुच्छेद १४२ के अंतर्गत मैंडामस के रूप में देश के सभी थाना प्रभारियों को 'बलात्कार पीड़ितों का बयान दर्ज करने' के संबंध में निर्देश जारी किया है, जो निम्नलिखित है :

१. बलात्कार के अपराध की घटित होने की सूचना प्राप्त होने पर, जांच अधिकारी पीड़िता का बयान दर्ज कराने के लिए उसे तुरंत किसी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट/ बेहतर हो कि न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास धारा १६४ के अंतर्गत बयान दर्ज कराने के लिए ले जाने के लिए कदम उठाएंगे। धारा १६४ के अंतर्गत दर्ज पीड़िता के बयान को तुरंत जांच अधिकारी को इस निर्देश के साथ सौंप देना चाहिए कि वह आरोप पत्र या अंतिम रिपोर्ट दायर करने के पहले इस बयान के विषय के बारे में किसी को नहीं बतलाएंगे।
२. जांच अधिकारी जहां तक सम्भव होगा पीड़िता को, महिला मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट/महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास ले जाएंगे।
३. जांच अधिकारी विशेष कर उस तारीख और समय को दर्ज करेंगे जब उन्हें बलात्कार के घटित होने की सूचना प्राप्त हुई और उस समय तथा तारीख को भी जब वह पीड़िता को ऊपर कहे अनुसार महिला मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट/महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास लेकर गये।
४. यदि पीड़िता को मजिस्ट्रेट के पास ले जाने में २४ घंटों से अधिक समय लगा हो, जांच अधिकारी को इसका कारण केस डायरी में दर्ज करना चाहिए और इसकी एक प्रतिलिपि मजिस्ट्रेट को सौंप देनी चाहिए।
५. पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षणः द.प्र.सं में २००५ में हुए संशोधन के बाद धारा १६४क जांच अधिकारी को पीड़िता का तुरत चिकित्सीय जांच कराने के लिए बाधित करती है। इस चिकित्सीय जांच की एक प्रतिलिपि तुरंत ही उस मजिस्ट्रेट को दे दी जानी चाहिए जिसने द.प्र.सं. की धार १६४ के अंतर्गत पीड़िता का बयान दर्ज किया हो।

उपरोक्त के अलावा अदालत ने इन निर्देशों के पालन के लिए भी निर्देश दिये और आपराधिक प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण अवलोकन किया :

- यह भी निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रतिलिपि सभी राज्यों और केन्द्र शासित राज्यों के डी.जी.पी. और यथानुसार पुलिस कमिश्नर को भेजा जाए जिन्हें फिर इसे अपने राज्य और केन्द्र शासित राज्य के थाना प्रभारियों को उन केसों में लागू करने के लिए भेजने का निर्देश है, जो इसकी प्राप्ति के पहले या इसके बाद दर्ज हुए हों।
- अदालत ने यह भी नोट किया कि हांलाकि केसों के निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक अदालते हैं, हमारे पास बलात्कार और सामुहिक बलात्कार जैसे केसों से निपटने के लिए फास्ट ट्रैक प्रक्रिया नहीं है और इसका परिणाम यह है कि ऐसे जघन्य अपराध बार–बार दोहराये जाते हैं। अदालत ने यह भी अवलोकन किया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता में फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के रूप में बड़े संशोधन करने की आवश्यकता है, तब इसे भारत गणराज्य को नोटिस जारी करना और उनसे यह पूछना है कि उन्हें आवश्यक संशोधन के लिए उचित कदम उठाने की पहल क्यों नहीं करनी चाहिए।
- बलात्कार के केस में होने वाले मुकदमों से जुड़े उन सभी गवाहों को जिनका परीक्षण किया जाता है, सीधे उनके बयान दर्ज कराने के लिए महिला न्यायिक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए और इन बयानों को सीलबंद लिफ़ाफ़े में रखना चाहिए और इसके बाद इसे मुकदमे के दौरान साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसकी सत्यता को परखने के लिए इसे क्रॉस परीक्षण (जिरह) के लिए रिकॉर्ड में दे दिया जाना चाहिए।
- अदालत का यह विचार भी था कि यदि पहली बार द.प्र.सं. की धारा १६४ के मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज करे गये बयान को ही सीलबंद करके इसे मुकदमे के समय गवाहों के निक्षेपण के रूप में स्वीकार किया जाए और बचाव पक्ष को अपने बचाव में गवाह एंव अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने और इस पर जिरह करने की स्वतंत्रता उपलब्ध हो और अभियोग पक्ष द्वारा, बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों पर जिरह करने की स्वतंत्रता भी हो, इससे निश्चित रूप से लंबी अदालती कार्यवाही से राहत मिलेगी यदि इसे केवल कम से कम बलात्कार के मुकदमे में प्रारम्भ कर दिया जाए। इस प्रकार फास्ट ट्रैक प्रक्रिया द्वारा शीघ्र उपचार उपलब्ध हो सकेगा।
- अदालत के अनुसार महानगरों के अलावा देश भर में बलात्कार और सामुहिक बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों के लगातार होने के परिप्रेक्ष्य में, विधिक बिरादरी और अन्य समबद्ध लोगों के विचार–विमर्श से द.प्र.सं. में ऐसे सुधार करने का उचित समय आ गया है।
- अदालत ने ३.८.२०१३ के आदेश के अनुसार भारत गणराज्य, भारत के विधिक आयोग और राज्यों के विधिक सचिवों को नाटिस जारी करके उन्हें संबंधित मुद्दे पर अपनी राय प्रकट करने को कहा था। विधिक आयोग ने अपना जवाब दायर करके बताया था कि हांलाकि, सैद्धांतिक रूप से वह इस बात से सहमत है कि द.प्र.सं. में प्रस्तावित संशोधन न्यायसंगत है, इसका यह भी विचार है कि ऐसा करने से पुलिस द्वारा केस की जांच में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

निष्कर्ष : इसलिए, बलात्कार के केसों में आज भी, इस निर्णय और उच्चतम न्यायालय द्वारा फास्ट ट्रैक प्रक्रिया की शुरूआत करने की आवश्यकता के बावजूद पहले से स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार ही केसों की जांच की जा सकती है। देखना है, आने वाले समय में क्या उच्चतम न्यायालय के अवलोकन के अनुसार द.प्र.सं. में संशोधन किया जाता है या इस पर निकट भविष्य में सहमति नहीं हो पाएगी।

नोट : इस प्रस्ताव पर आपकी क्या राय है? हमें अपने विचारों से अवश्य ही अवगत करायें क्योंकि अंततः इसका सीधा प्रभाव पुलिस द्वारा किये जा रहे जांच पर पड़ेगा।

– प्रस्तुतिः ज़ीनत मलिक

(सौजन्य : लाईव लॉ डॉट इन, ३० अप्रैल,

पृष्ठ १ का शेष भाग.....

उल्लंघन से अवश्य ही डरेगा। संशोधन से अपराध दर्ज करने में बहुत सहायता मिली है।

चूंकि अब २०१३ के संशोधन के बाद किसी महिला की यौन हिंसा की शिकायत को दर्ज करने से मना करना भी दण्डनीय अपराध है, इस प्रावधान के अंतर्गत अब तक कितने अधिकारियों के विरूद्ध केस दर्ज हो चुका है?

ऐसे किसी के इंकार करने की अब गुंजाइश ही नहीं है और न ही ऐसी शिकायत मिली है।

जब वरिष्ठ अधिकारी के कहने पर शिकायत दर्ज की जाती है, क्या प्रारंभ में जिस अधिकारी ने शिकायत दर्ज करने से मना किया, तो उसके विरूद्ध भी भारतीय दण्ड संहिता की धारा १६६ क के अंतर्गत एफ.आई. आर. दर्ज की जाती है?

एफ.आई.आर. दर्ज तो तब होगी जब कोई इसकी शिकायत करेगा। हमें ऐसी एक भी घटना की शिकायत नहीं मिली है जिसमें किसी अधिकारी ने केस दर्ज करने से मना किया हो। यदि ऐसी कोई घटना संज्ञान में आएगी तो संबंधित अधिकारी पर तुरंत कार्यवाही की जाएगी।

यौन हिंसा के केसों को देखने वाले जांच अधिकारियों को, इसके लिए क्या कोई विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है?

एक जांच अधिकारी के तौर पर उन्हें सारे कानूनी पहलुओं की पूरी जानकारी पहले से ही होती है। जांच अधिकारियों को समय–समय पर विभिन्न न्यायालयों के महत्वपूर्ण एवं संबंधित निर्णयों से अवगत कराया जाता है। साथ ही अनुभवी जांच अधिकारी पहले से ही निपुण जांचकर्ता होती/होते हैं। विधि चिकित्साशास्त्र से संबंधित जानकारियाँ भी समय समय पर जॉच अधिकारियों को दी जाती हैं। जांच अधिकारियों को समय–समय पर रिफ्रेशर कोर्स भी कराया जाता है।

स्र, क्योंकि आप ट्रैफिक कमिश्नर हैं, मैं इस शाखा में कार्यरत महिला पुलिसकर्मियों की स्थिति के बारे में जानना चाहूंगी। समाचार रिपोर्टों के अनुसार कई स्थानों पर महिला ट्रैफिक पुलिस के लिए शौचालय की व्यवस्था भी नहीं है। दिल्ली में उनकी कार्य–स्थिति किस प्रकार की है?

देखिए, पुलिस को कठिन परिस्थितियों में कार्य करना पड़ता है। उनकी कार्य अवधि बहुत लम्बी होती है। उस पर ट्रैफिक की ड्यूटी बहुत कठिन होती है, धूप में खड़े रहना होता है। हमारे यहां इस शाखा में लगभग ६००० पुलिसकर्मियों में से ४७४ महिला अधिकारी हैं। हम यहां उन्हें ८ घंटों से अधिक समय की ड्यूटी नहीं देते हैं। हमने कई ट्रैफिक बूथ बनाये हैं, जहां विश्राम किया जा सकता है। ट्रैफिक बूथ पर पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। महिला पुलिसकर्मी शौचालय के लिए नज़दीकी थाने या अन्य इमारतों में उपलब्ध जन–सुविधा का उपयोग करती हैं।

दिल्ली पुलिस की एक बड़ी पहल थाना स्तर पर महिलाओं की भर्ती की रही है। २०१३-२०१४ के मध्य कितनी महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती की गई है? क्या यह कांस्टेबल स्तर पर की गई है या सब–इंस्पेक्टर स्तर पर?

दिल्ली पुलिस में महिला पुलिसकर्मियों के लिए तकरीबन १७०० पदों की पहचान की गई हैं और इसके लिए विशेष भर्ती प्रक्रिया जारी है। इनमें से १६०० पद सिपाही स्तर के हैं। तथा १३१ पद महिला सब–इंस्पेक्टर के लिए हैं। इनकी भर्ती प्रक्रिया जारी है।

दिल्ली पुलिस में महिला पुलिसकर्मियों की वर्तमान संख्या	
इंस्पेक्टर	७२
एस.आई.	३६४
ए.एस.आई.	३४८
हेड कांस्टेबल	४०७
कांस्टेबल	३६३५
कुल	४८२६

आम तौर पर ऐसा माना जाता है कि महिलाएं पुलिसिंग के लिए नहीं बनी हैं पर क्या पुलिस विभाग महिलाओं को सम्मिलित करने के लिए तैयार है? आपका इस पर क्या विचार है?

पुलिसिंग के कुछ ऐसे पहलू हैं जिसे महिला अधिकारी पुरूषों की तुलना में अच्छे से निभाती हैं जैसे पीड़ितों से व्यवहार करना, अनुसंधान/जांच करना, जनता की शिकायतों को सुनना एवं उनका हल निकालना इत्यादि। साथ ही साथ पुलिसिंग के कुछ पहलू महिलाओं के लिए कठिन भी हैं। महिला पुलिस की उपस्थिति से निःसंदेह विभाग में मानवीय स्पर्श आता है।

पुलिस की विभागीय संस्कृति में क्या पुरूष सहकर्मियों द्वारा अधिक महिला सहकर्मियों को समायोजित करने में कोई दिक्कत है?

(इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए अपनी महिला एस.आई. देवेश्वरी को बुलाया और उन्होंने उत्तर दिया)

बाहर लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे विभाग में पुरूष सहकर्मियों को हम से कोई कठिनाई है, जबकि ऐसा नहीं है। वे लोग स्वंय कहते हैं कि हमारी उपस्थिति से उनका काम आसान हो जाता है। कई ऐसे पहलू हैं जो उनकी तुलना में हम लोग बेहतर और सरल तरीके से करते हैं।

अंत में, हम यह जानना चाहेंगे कि पुलिस अपनी कमियों पर पर्दा डालने के लिए उनके सामने उपस्थित कठिनाईयों को कारण बताती है। इस पर आपका क्या विचार हैं?

पुलिसकर्मियों को उस समय लोगों की समस्याओं का समाधान करना होता है जिस समय लोग अपराध से ग्रस्त होकर या समस्याओं से प्रभावित होकर बहुत ही भावुक स्थिति में होते हैं। पुलिस को उनकी शिकायतें सुननी पड़ती हैं। पुलिसकर्मी अपनी लम्बी ड्यूटी एवं कठिन परिस्थिति में कार्य करने से स्वयं तनावग्रस्त रहते हैं और इससे उनकी कार्यशैली प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाती है। पुलिस विभाग एक अनुशासनात्मक संगठन है जिस कारण वह हर स्थिति में कार्य करती रहती है जबकि लोगों द्वारा पुलिस की कठिनाईयों को उचित परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा जाता है।

क्या आप जानते हैं?

फरवरी महीने के अंक से हम इस स्तम्भ में "सामुदायिक पुलिसिंग की अवधारणा" की उत्पत्ती तथा विकास के वर्तमान पहलूओं पर लेख प्रस्तुत कर रहे हैं। इस श्रृंखला का अंतिम भाग यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

सामुदायिक पुलिसिंग में सम्भावित कठिनाईयां

सामुदायिक पुलिसिंग की, केवल बीट पुलिसिंग/पेट्रोल पुलिसिंग से तुलने करने अपना ही एक जोखिम है। जहां पैदल अधिकारियों का समुदाय के समीप आने और अधिक लोगों से मिलने की सांख्यिकीय सम्भावना अधिक है, यह आवश्यक है कि समुदाय की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाए।

किसी भी सफ़ल सामुदायिक पुलिसिंग प्रयोग में अपराधों के दर्ज कराने के रिकॉर्ड में बढ़ोतरी दिखाई देगी। और यह आशा करना उचित है। पहले, समुदाय के सदस्यों को संवेदनशील बनाना उन्हें अपराध के बारे में और सतर्क कर सकता है, और दूसरे, विश्वास बनने और समुदाय तथा पुलिस के बीच संबंध विकसित होने पर सम्भव है कि नागरिक अपराधों की शिकायत पहले से अधिक संख्या में दर्ज कराएंगे। इसलिए, सामुदायिक पुलिसिंग के प्रारम्भ में ही अपराधों में कमी लाने के लिए वचनबद्ध होना जल्दबाज़ी होगी। यहां तक कि अंततः जब अपराध कम भी हो जाए तब भी पुलिस को इसका श्रेय लेने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि जब अपराधों का आँकड़ा ऊपर जाएगा, तब उन्हें ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा। सामुदायिक पुलिसिंग को लंबी अवधि के लिए काम करने की आवश्यकता है, इसकी एक संपूर्ण योजना होनी चाहिए और पुलिस तथा समुदाय को इसमें पूरी तरह सम्मिलित होना चाहिए।

सफ़लता का मुल्यांकन करना सामुदायिक पुलिसिंग पहलकदमी का अत्यावश्यक पहलू इसका आंकलन है। आंकलन और अधिक महत्वपूर्ण तब हो जाता है जब स्वंय पुलिस संगठन में व्यापक परिवर्तन हो रहा है जिसे सामुदायिक पुलिसिंग ने आवश्यक बना दिया है। इस प्रकार के आंकलन में स्वंय पुलिस संगठन में आवश्यक परिवर्तन की प्राप्ति को और समुदाय के साथ कार्यवाहक रिश्ते की स्थापना को प्रगति मानना चाहिए।

एक मज़बूत आंकलन प्रोग्राम को विकसित करने की शुरूआत एक सामरिक महत्व की योजना से होनी चाहिए जिसमें लक्ष्य, पद्धतियां, समय–सीमा की रूप–रेखा निर्धारित होनी चाहिए। यह लक्ष्य और ज़िम्मेदारियाँ कार्य–निष्पादन के आंकलन का आधार बनेगी और पुलिस नेतृत्व को विफलता और अटकलों का पता लगाने में और प्रगति को सारणीबद्ध करने तथा सफ़लता का प्रमाण प्रस्तुत करने में सहयोग देंगी।

> जब पुलिस अपराधों को रोकने के लिए अग्रसक्रिय भूमिका लेती है जिसमें अपराधों से लड़ने की पुरानी कार्यवाही के साथ समुदाय की भागीदारी और समस्याओं को हल करने के कार्यकलाप सम्मिलित होंगे, इसके आंकलन के मानदंडों के एक व्यापक समुच्चय की आवश्यकता होगी।

मूल्यांकन के लिए सूचक

सामुदायिक पुलिसिंग के प्रयत्नों की सफ़लता के कई सूचक हैं जैसे भय का न होना, समुदाय के सदस्यों से बातचीत की गुणवत्ता अस्पृश्य है। इसलिए, किसी समुदायिक पुलिसिंग की युक्तियों का आंकलन न केवल गुणात्मक है बल्कि मात्रात्मक प्रक्रिया भी है।

हांलाकि, यह भिन्न हो सकते हैं फिर भी सामुदायिक पुलिसिंग पहलकदमी के मूल्यांकन के कुछ बुनियादी सूचक निम्नलिखित को मान सकते हैं :

- नागरिकों द्वारा शारीरिक स्वतंत्रता के लाभ उठाने का स्तर
- दर्ज और दर्ज न किये गये अपराधों का अनुपात
- अपराध दरों में कमी
- समुदाय का उनकी सम्पत्ती और व्यक्तियों की सुरक्षा के बारे में अनुभव
- पीड़ितों के अधिकारों की सुरक्षा
- आरोपी के अधिकारों की सुरक्षा

सामुदायिक पुलिसिंग का आंकलन एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो जिसमें आंकलन के उपायों का पुनः आंकलन भी सम्मिलित है। सामुदायिक पुलिसिंग के बृहत्तर अनुभव के साथ, एक पुलिस एजेंसी उन उपायों को ठीक प्रकार से विकसित कर सकती है, सारणीबद्ध कर सकती है जिससे सफ़लता और विफ़लता दर्ज की जाएगी और यह भी बता सकती है कि कहां परिवर्तन की आवश्यकता है।

सामुदायिक पुलिसिंग के बारे में ग़लत धारणा

सामुदायिक पुलिसिंग में लंबी अवधि के लिए प्रतिबद्धता की आवश्यकता है, यह कोई जल्दी का काम नहीं है। पुलिस एजेंसियों को, राजनितिक नेताओं और जनता को सामुदायिक पुलिसिंग के बारे में अपराध रोकने या कार्यान्वयन की गति के बारे में अवास्तविक अपेक्षा विकसित नहीं करने देना चाहिए। इसमें समुदाय के साथ लगातार जारी रहने वाली भागीदारी प्राप्त करने और अपराध के अंतर्निहित कारणों को समाप्त करने की योजना, लचीलापन, समय और धीरज शामिल होता है।

दक्षिणी एशिया में सामुदायिक पुलिसिंग के बारे में जो गलत धारणा लोगों में है, उसे दूर करना बहुत महत्वपूर्ण है। सामुदायिक पुलिसिंग, समुदाय द्वारा पुलिसिंग नहीं है। "जनता पुलिस है और पुलिस जनता" से लोगों को भ्रमित नहीं होना चाहिए कि पुलिसिंग के कार्यों को करने के लिए वास्तव में जनता को बुलाया गया है। हमारे समाज में जिस कारण से जन सुरक्षा के लिए पुलिस अधिकारियों को नियुक्ति की गई है वह यह है कि इसके लिए विशेष प्रशिक्षण और अद्भूत कौशलों की आवश्यकता होती है और एक आम आदमी पुलिसिंग के दायित्वों के निर्वहन करने में सक्षम नहीं है।

— नवाज़ कोतवाल

तथ्य एंव आँकड़े

राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में पुलिस बल पर होने वाला खर्च (रुपया करोड़ में)

	२०११-१२	२०१२-१३	प्रतिशत परिवर्तन
कुल पुलिस खर्च	४४७४७	५८०२८	४.०९ %
पुलिस प्रशिक्षण का खर्च	६१२	६३८	२.८५ %
पुलिस आवास पर खर्च	११९६	२४४६६	१६६६.१० %
प्रशिक्षण पर कुल पुलिस खर्च का प्रतिशत	१.६४	१.६२ %	
आवास पर खर्च, कुल पुलिस खर्च का प्रतिशत	२.१३	४२.२७ %	

हम, *लोक पुलिस* के इस अंक में छपे लेखों के बारे में आपके विचार जानना चाहेंगे। कृपया अपने विचार हमें अवश्य भेजें। हम उन्हें आपके नाम या अज्ञात, जैसा आप चाहेंगे, *लोक पुलिस* में प्रकाशित करेंगे। आपकी महत्वपूर्ण राय ही बदलाव लाएगी।

आपके विचार

महोदया,

सादर प्रणाम!

फरवरी महीने के अंक में प्रकाशित 'देहाती क्षेत्रों में जनबल का मुल्यांकन' लेख के अंतिम भाग में बी.पी.आर.डी. द्वारा की गई सिफ़ारिश, मुझे बेहद पसंद आई। मैं, स्वंय हरियाणा के एक देहाती क्षेत्र के थाना में तैनात हुँ। हमें बेहद विषम परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। कई बार जांच करते हुए बहुत महत्वपूर्ण बिन्दु पर पहुंच कर अचानक बीच में ही छोड़ना पड़ता है क्योंकि कानून–व्यवस्था को संभालने के लिए पर्याप्त जनबल थाने में उपलब्ध नहीं होता है। इसके बाद जब दोबारा जांच करने पहुंचते हैं तो उसी स्तर पर पहुंचने के लिए कभी साक्ष्य गुम हो चुके होते हैं तो कभी गवाह ग़ायब हो जाता है और पहले की हुई सारी मेहनत व्यर्थ हो जाती है।

बी.पी.आर. एण्ड डी. द्वारा जनबल की तैनाती के बारे में की गई सिफ़ारिशों को यदि राज्य सरकार गंभीरता से लें तब स्थिति बदल सकती है। इसकी अनुपस्थिति में अपराधसिद्धि दर में कमी रहना स्वभाविक है क्योंकि जांच पर जनबल की कमी का सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है।

इस रिपोर्ट को प्रकाशित करने के लिए धन्यवाद।

हेड कांस्टेबल, मेवात,
हरियाणा

संपादिका जी,

नमस्कार!

इसके अंतर्गत पत्रिका के फरवरी के अंक में समाचारों के खंड में मुंबई में किशोरों द्वारा अपराधों की संख्या में बढ़ोतरी का आंकड़ा एक ख़तरनाक संकेत है। लेकिन, ऐसा नहीं है कि ऐसा केवल मुंबई में हो रहा है ऐसा नहीं है, बल्कि कई स्थानों पर ऐसी प्रवृत्ती तेज़ी से बढ़ रही है। किशोरों को कई अपराधी गैंग अपने साथ इस विशेष उद्देश्य के पुर्ती के लिए रखते हैं कि उनसे गंभीर अपराध करवाये जाएं विशेषकर नशीले पदार्थों की तस्करी में इनका उपयोग किया जाता है।

इसलिए, इनके लिए कानून में उचित संशोधन होने चाहिए।

सब इंस्पेक्टर, जयपुर
सदस्य, राजस्थान पुलिस

पुलिस समाचार- हर कोने की हलचल

मुंबई को कमांडो प्रशिक्षित महिला बीट मार्शल

जिस प्रकार मुंबई रेलवे की महिला पुलिसकर्मी स्टंट करती हैं। अब, महिला बीट मार्शलों को भी उसी प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। मुंबई पुलिस द्वारा २००३ में प्रारम्भ की गई बीट मार्शल की तरह, महिला पुलिस शीघ्र ही शहर की गलियों पर गश्त करती हुई दिखेंगी।

इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए २०० से भी अधिक कांस्टेबलों की संक्षिप्त सूची बनाई गई है और उनका प्रशिक्षण भी मई में ही प्रारम्भ होने वाला है। प्रत्याशियों को मोटरबाईक चलाने, बंदूक चलाने, हथियारों के बगैर मुकाबला करना, वायरलेस से बातचीत और अन्य चीज़ों के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। उनका प्राथमिक काम महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों को रोकना है, मुख्यतः यौन उत्पीड़न और प्रताड़ना और उन्हें गलियों में सुरक्षित महसूस कराना।

मुंबई के पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया के अनुसार "महिला बीट मार्शलों को कमांडो की तरह प्रशिक्षित किया जाएगा लेकिन उनका काम मुख्य रूप से मुंबई की गलियों में महिलाओं को सुरक्षित होने का आभास कराना होगा। उनकी उपस्थिति, बदमाशों को महिलाओं को तंग करने से दूर करनी चाहिए।"

मारिया के अनुसार उनलोगों ने शहर के उन स्थानों की पहचान कर ली है जहां महिलाएं अन्य स्थानों से अधिक असुरक्षा का अनुभव करती हैं। वहां प्रशिक्षित महिला मार्शलों द्वारा समस्याओं को संभालने की आशा की जा रही है। मारिया के अनुसार शहर के सभी थानों में महिला बीट मार्शल की कम से कम एक टीम होगी।

बीट मार्शल प्रणाली की शुरूआत मुंबई के उस समय के कमिश्नर रंजीत सिंह शर्मा द्वारा की गई थी। इस अवधारणा को इसलिए अपनाया गया क्योंकि मार्शल को सड़कों पर सबसे पहली प्रतिक्रिया के लिए उपयुक्त माना गया। क्योंकि उनके पास संचार के साधन, हथियार और दुपहिया वाहन मौजूद होता है इसलिए वे स्थानों पर शीघ्रता से पहुंच सकते हैं और अधिक प्रभावशाली होते हैं। इस व्यवस्था से सड़कों पर होने वाले अपराधों को रोकने में बहुत हद तक सहायता मिली थी और परिणाम स्वरूप देश भर की पुलिस युनिट ने इसे स्थानीय स्तर पर सम्मिलित किया।

महिला पुलिसकर्मियों को सड़कों पर, मॉल में या बाज़ारों में देख कर महिलाओं को आत्म सुरक्षा का आभास होता है और महिला मार्शलों की उपस्थिति अवश्य ही बदमाशों को खदेड़ने में सहायक होगा। मुंबई पुलिस को इस पहल के लिए बधाई और आशा है कम से कम अन्य महानगरों में भी ऐसी शुरूआत शीघ्र की जाएगी।

(सौजन्य : डेली वर्ल्ड डॉट कॉम, २७ अप्रैल २०१४)

सलाखों के बगैर थाना

गोवा का कोल्वा थाना अपनी अपर्याप्त अवसंरचना का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसलिए, कोई व्यक्ति कोल्वा पुलिस द्वारा गिरफ़्तार तो हो सकता है, लेकिन उसे यह सौभाग्य प्राप्त होगा कि वह कभी भी इस थाने में सलाखों के पीछे नहीं जाएगा क्योंकि यहां कई आवश्यक भागों के साथ–साथ लॉक–अप भी नहीं है। पुलिस को प्रायः आरोपियों को मारगाव थाने ले जाना पड़ता है।

थाने के लिए केवल एक पुरानी जीप है और सोने पे सुहागा यह कि शौच के लिए बदबुदार और पुराना सीन उपलब्ध कराया गया है।

इस थाने में सभी आवश्यक अवसंचालनों में से क्या है, चलिए जांच करें– मनोरंजन हाल, शौच घर या स्नानघर से अनुलग्न बैरक नहीं है, महिला पुलिस के लिए भी अलग शौच घर या स्नानघर से अनुलग्न बैरक नहीं है, मुद्दामाल रूम नहीं, रसोई से जुड़ी हुई कैंटीन भी नहीं है, न तो स्टोर रूम है, न वायरलेस कक्ष है, न रिपोर्ट दर्ज करने का कक्ष है, न जांच कक्ष है, न प्रतीक्षालय है, न जनता के लिए शौचालय है, न हथियार कक्ष है, न महिला और पुलिस के लिए लॉक अप है, पी.एस.आई. या एस.आई. के लिए केबिन भी नहीं है। जो एक महत्वपूर्ण चीज़ मौजूद है, वह है थानाप्रभारी के लिए अलग से कमरा लेकिन यह भी शौचालय के बग़ैर।

कोल्वा थाने की अवसंरचना बेहद निम्न स्तरीय है। यह, वहां तैनात न केवल पुलिसकर्मियों को दयनीय कार्यस्थल प्रदान करता है बल्कि उनसे सुरक्षा की अपेक्षा रखने वाली जनता के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि इस थाने की खिड़कियाँ ग्रिल के बग़ैर हैं। ऐसा नहीं कि प्रशासन को इस थाने की बदहाली का ज्ञान नहीं, सितंबर २०१३ में इस थाने पर हुए हमले के बाद एक न्यायिक जांच की गई थी जिसमें स्पष्ट बताया गया था कि इसमें बुनियादी अवसंरचनाओं की कमी है और यह ईमारत असुरक्षित है क्योंकि एक बहुत पुरानी ईमारत से कार्यरत है।

बात केवल इस एक थाने की नहीं है बल्कि जब कोल्वा जैसे क्षेत्र में थाने की इतनी जर्जर स्थिति है तो अंदरूनी क्षेत्रों में क्या हाल होगा, यह विचारणीय मुद्दा है। हद तो यह है कि कार्यवाही करने वाली एजेंसियां हांथ पर हांथ धरे बैठी हैं। अगर इसकी स्थिति को सुधारने के लिए कोई कदम ही नहीं उठाना था, फिर मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी की क्या आवश्यकता थी?

(सौजन्य : डेली वर्ल्ड डॉट कॉम, २७ अप्रैल २०१४)

सी.सी.टी.वी. लगाएगा अपराधों पर लगाम

नवी मुंबई के कमोठ ग्रामपंचायत ने बढ़ते अपराधों पर रोक लगाने के लिए विभिन्न स्थानों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने का निर्णय लिया है।

साधारण सभा की हाल ही में हुई मीटिंग में, २४ लाख रू. का बजट मुख्य स्थानों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने के लिए पास किया गया। एक निजी एजेंसी को इस काम को पूरा करने की ज़िम्मेदारी दी गई है। पिछले वर्ष स्थानीय लोगों की लगातार मांग पर एक थाने की स्थापना की गई थी लेकिन अपराधों में कमी नहीं आई। अधिकारियों को चेन खींचने, छेड़खानी और अन्य अपराधों की संख्या में कमी लाने के लिए सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने का प्रबंध करना पड़ा।

सरपंच के अनुसार पुलिस की संख्या में इतनी कमी के कारण, इस नये टाऊनशिप की सुरक्षा करना असंभव है, जिसने हमें सी.सी.टी.वी. कैमरे लगवाने के लिए मजबूर किया।

इसमें कोई मत विभाजन नहीं कि सी.सी.टी.वी. लगाने से अपराधियों पर नज़र रखी जा सकती है और बाद में उनकी पहचान करके उचित दण्ड भी दिया जा सकता है। लेकिन, अपराधों को रोकने के लिए अचानक बढ़ते अपराधों के कारणों का अध्ययन करके उसे दूर करने की कोशिश भी करनी चाहिए। साथ ही, पुलिस को कैमरों के भरोसे ही नहीं बैठना चाहिए बल्कि अधिक अपराध वाले क्षेत्रों में गश्त भी बढ़ाना चाहिए।

(सौजन्य : टाईम्स ऑफ इंडिया डॉट इंडिया टाईम्स डॉट कॉम, २७ अप्रैल २०१४)

महिला पुलिसकर्मी को थप्पड़

थाणे की एक महिला कांस्टेबल जयश्री माने (३४) को कथित रूप से एक रिज़र्व सब–इंस्पेक्टर ने शिवाजीनगर पुलिस मुख्यालय में ड्यूटी के दौरान थप्पड़ मारा।

दरअसल, महिला कांस्टेबल ने आर.टी.आई. दायर करके पुलिस को आवंटित सरकारी आवासों में अवैधानिक रूप से रहने वाले लोगों की सूचना प्राप्त की थी और इस आर.टी.आई. के परिणामस्वरूप आरोपी आर.एस.आई. मचिन्द्र शिंडे को भी आवास खाली करना था। आरोपी ने गुस्से में आकर कांस्टेबल को ड्यूटी के दौरान ही थप्पड़ मार दिया। इसके बाद जब महिला कांस्टेबल शिवाजीनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए गई, स्वंय अपने विभाग द्वारा उनकी बात सरलता से नहीं सुनी गई। तकरीबन दो घंटे की प्रतीक्षा के बाद उनकी शिकायत लिखी गई और शिंडे के विरूद्ध असंज्ञय अपराध के अंतर्गत केस दर्ज किया गया।

माने ने ३ वर्षों में तकरीबन २०० आर.टी.आई. आवेदन दायर किया है। वह कहती है कि मैं शहर से भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकना चाहती हैं और जब मैं विभाग में सम्मिलित हुई तब मुझे महसूस हुआ कि मेरे अपने पीठ पीछे बहुत भ्रष्टाचार है। मुझे अपने दावों के समर्थन में कुछ तथ्यों को एकत्रित करना था ताकि मैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों तक बात पहुंचा सकुँ, इसलिए मैंने आर.टी.आई. के उपयोग से यह पता लगाने की कोशिश की कि कितनी आवासीय सोसाईटी पुलिसकर्मियों के लिए हैं, उसमें उनके रहने की अवधि कितनी है, उन्हें निवास की आवंटित अवधि क्या दी गई थी।'

कांस्टेबल माने याद करती हैं– "पहले भी मुझे आर.टी.आई. आवेदन न दायर करने के लिए धमकी भरे फ़ोन कॉल आते थे। लेकिन, अपनी व्यवस्था से भ्रष्टाचार हटाना मेरा लक्ष्य है। आर.टी.आई. द्वारा मुझे पता लगा कि कुछ अधिकारी बिजली चुराते हैं और अतिक्रमण करते हैं। शिंडे जो सिविल पोशाक में थे मेरी ओर आए, मैने उन्हें सैल्यूट किया, मुझसे पूछा कि क्या मैंने आर.टी.आई. दायर किया है, मैनें हामी भरी और वह और नजदीक आए और मुझे थप्पड़ मारा। मुझे महसूस हुआ कि वह नशे में थे।"

जब वह थाने गई उसी दौरान शिंडे ने डायरी में लिख दिया कि उन्होंने टोपी नहीं पहनी थी इसलिए, उन्होंने महिला कांस्टेबल को डांटा था।

इंस्पेक्टर सीमा (अपराध) जो केस की जांच कर रही हैं, के अनुसार शिंडे की मेडिकल रिपोर्ट की प्रतीक्षा हो रही है और केस की जांच चल रही है। शहर के कमिश्नर सतीश माथुर ने कहा, "मैं घटना की जांच करूंगा। यह एक बड़ा झटका है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्यों एक महिला पुलिसकर्मी को दूसरे पुलिस अधिकारी ने थप्पड़ मारा। हम समस्या की जांच करेंगे।"

यह घटना न केवल पुलिस विभाग में विद्यमान 'मांसाहारी श्रेणी' के भ्रष्टाचार का है बल्कि दूसरे अन्य आर.टी.आई. कार्यकर्ताओं द्वारा भ्रष्टाचार के विरूद्ध आवाज़ उठाने पर उन्हें दबाने के प्रयत्न का भी है जिसमें एक पुलिस अधिकारी को अपनी जूनियर सहकर्मी पर हांथ उठाने में भी संकोच नहीं हुआ। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को गहराई से इस केस की जांच करनी चाहिए और आरोपी को जांच पूरी होने तक निलंबित कर देना चाहिए ताकि वह किसी प्रकार फिर अपने प्राधिकार के दुरूप्योग से केस को गलत सिद्ध करने की चेष्टा न करे। विभाग को निष्पक्ष जांच द्वारा भ्रष्ट कर्मचारियों को कड़ा संदेश देना चाहिए।

(सौजन्य : डी.एन.ए. इंडिया डॉट कॉम, ५ मई २०१४)

सी.एच.आर.आई., नई दिल्ली कार्यालय
प्रधान सम्पादक : ज़ीनत मलिक, बी–११७, दूसरा तल, सर्वोदय एनक्लेव, नई दिल्ली–११००१७, भारत
टेली : ९१ ११ ४३१८ ०२००, फैक्स : ९१ ११ २६८६४६८८, info@humanrightsinitiative.org, www.humanrightsinitiative.org